

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

बइजलास :- श्री अभिषेक सुराणा आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)

राजस्व वाद सं. 54/2018

अनवान :-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

.....वादी

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र मोडाराम जाति माली साकिन सुजानदेसर
2. लक्ष्मणराम पुत्र मोडाराम जाति माली साकिन सुजानदेसर

.....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. परोकारराज वादी राज्य के लिये।
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के लिए

—: निर्णय :-

दिनांक :- 27.02.2020

27.02.2020 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र बजरंगलाल आदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 77 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम चक सालिया के ख. न. 89 रकबा 2.02 हैक्टर प्रतिवादीगण लक्ष्मणराम पुत्र मोडाराम जाति माली साकिन सुजानदेसर तहसील बीकानेर की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का चक बन्धा न. 1 एवं भू.अभिलेख निरीक्षक वीठनोक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 89 में अवैध ईट भट्टा स्थापित विना सक्षम स्वीकृति के किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शा सलंगन है।
3. यह है कि प्रतिवादीगण के द्वारा स्थापित किये गये अवैध भट्टे के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त खसरा नम्बर 89 के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिनियम रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार किया जावें।
4. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम चक सालिया के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.76 हैक्टर में विना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध ईट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद पत्र को स्वीकर किया जावे। उक्त ख. न. 89 कह कुल तादादी 0.76 हैक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश के साथ खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु निवेदन है।

नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के अनुपस्थित है। लगातार दिनांक 19.04.2018 से पत्रावली जवाब में जैरकार रही। प्रतिवादीगण अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर

रहने पर दिनांक 19.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। एकतरफा बहस समाप्त की गयी।

परिणामस्वरूप वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगन स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है :-

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम चक सालिया के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.76 हैक्टर जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी सवत 2070 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तथा इसमें प्रतिवादीगन का नाम कलमजुन किया जाता है।
2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादीगन को बेदखल किया जाता है।
3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुस्तीब किया जावे। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को भेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

110  
15/2/20

(अभिषेक सुराणा)  
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बिकानेर  
कोलायत

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(अभिषेक सुराणा)  
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बिकानेर  
कोलायत